इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपन्न

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 240]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई 2020-श्रावण 6, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2020

क्र.—एफ—2—08—2020—एक (1).— चूंकि, राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा श्री लाल जी टंडन के निधन के कारण मध्यप्रदेश के राज्यपाल के पद के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 तथा अनुच्छेद 160 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त समर्थ करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 के अधीन स्थाई रूप से किसी व्यक्ति के अपने पद पर नियुक्त हो जाने पर अपने पद का कार्यभार संभाल लेने तक, एतद् द्वारा मध्य प्रदेश के राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2020

क्र.—एफ—2—08—2020—एक (1).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2—08—2020—एक (1), दिनांक 28 जुलाई, 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 28th July 2020

No.F-2-08-2020-One(1). Whereas, consequent upon the death of Shri Lal ji Tandon, it has become necessary to make temporary provision for the discharge of the functions of the Governor of Madhya Pradesh. The President has been pleased by warrant under his hand and seal to appoint Smt. Anandiben Patel, Governor of Uttar Pradesh to discharge the function of the Governor of Madhya Pradesh until the person permanently appointed under Article 155 of the Constitution of India enters upon his office.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SHRINIVAS SHARMA, Secy.